<u>प्रेस नोट</u>

<u>दीव में दिवाली पर्व पर एहतियाती उपायों की घोषणा</u>

दीव-29/10/2013 -संघ प्रदेश दीव के निवासियों को दीप के पर्व दीवाली के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन देते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस अवसर पर कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी गई है । माननीय सुप्रीम कोर्ट के निदेशानुसार 125 डीबी से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री एवं उपयोग का समय शाम को 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक है । इनका इस्तेमाल अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर किया जाएगा । इस नियम के उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति को 05 वर्षों का कारावास व 01 लाख रूपये के जुर्माने से दण्ड़ित किये जाने का प्रावधान है । इसलिए दीवाली पर्व के अवसर पर कानून एवं व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा की लिहाज से आवासीय परिसरों, भीड़ अथवा बाजार स्थल पर पटाखे बेचना सख्त मना है ।

इसे ध्यान में रखते हुए दीव में संत पॉल चर्च के पीछे फूटबॉल ग्राउण्ड, घोघला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जल विशोधन प्लाण्ट के मध्य स्थल पर स्थित क्रिकेट मैदान, दीव जिला के ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित कोई खुले स्थल आदि पर पटाखे बेचने के लिए दीव प्रशासन ने स्थल निर्धारित किया है । इन स्थलों पर पटाखों के डीलर ऐसी वस्तुओं से दुकान लगायेंगे, जो ज्वलनशील न हो । साथ ही वे अग्नि-निर्वापक, पर्याप्त जल व रेती की व्यवस्था भी करेंगे । किसी भी आकस्मिक आग जनित दुर्धटना न होने देने के लिए वे व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से विद्युत संयोजन करेंगे । सभी इच्छुक विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि वे वस्फोटक अधिनियम के अनुसार अपेक्षित आवेदन के साथ 500/- रूपये का शुल्क भुगतान करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, दीव से पटाखे विक्री के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे ।

उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी एवं शहरी व ग्रामीण इलाके के कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया है कि वे उनके अधिकारक्षेत्र में सुरक्षा व सार्वजनिक शान्ति के लिए एहतियाती कार्रवाई करेंगे एवं किसी आवासीय स्थल या रिहाईशी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री होते पाये जाने पर दीव पुलिस द्वारा सभी पटाखों के स्टॉक को जब्त कर लिया जाएगा ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, दीव को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।